



उ०प्र० पावर कारपोरेशन लिमिटेड

(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)

U.P.Power Corporation Limited

(Govt. of Uttar Pradesh Undertaking)

शक्ति भवन, विस्तार, 14-अशोक मार्ग, लखनऊ

CIN: U32201UP1999SGC024928

संख्या:-161-औस/2015-11(1)ए०एस०/०९(१४)

दिनांक: 14 जनवरी, 2015

विषय:- उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड द्वारा पूर्व मान्यता प्राप्त निजी चिकित्सालयों की मान्यता अवधि बढ़ाये जाने के सम्बन्ध में।

कार्यालय ज्ञाप

कारपोरेशन के कार्यालय ज्ञाप संख्या-2218-औस/2014-11(1)ए०एस०/०९(१४) दिनांक 05 जुलाई, 2014 के अनुक्रम में कारपोरेशन के आदेश सं०-4452-औस-17/पाकालि/02, दिनांक 09.12.2002 एवं आदेश सं०-3593-औस-17/पाकालि/ 2003, दिनांक 21.07.03 में निहित प्राविधानों/मानको एवम् अनुमोदित चिकित्सा दरों के अधीन निम्नलिखित चिकित्सालयों/चिकित्सा संस्थानों की मान्यता दिनांक 01.01.2015 से 30.06.2016 तक एतद्वारा निम्न प्रतिबन्धाधीन बढ़ायी जाती है:-

क्रम सं०	चिकित्सालय का नाम एवम् जनपद	मान्यता की अन्तिम प्रभावी तिथि
लखनऊ 1	श्याम हॉस्पिटल एण्ड रिसर्च सेन्टर, स्कूटर्स इण्डिया चौराहा, गौरी बाजार, सरोजनी नगर, लखनऊ।	30.06.2016
2	मानसरोवर आई हॉस्पिटल, विधान सभा मार्ग, आकाशवाणी, लखनऊ। (एकल विशिष्टता)	30.06.2016
3	गुप्ता हॉस्पिटल, विजयनगर, कानपुर रोड, लखनऊ।	30.06.2016
4	के०के० हॉस्पिटल, 87/88 नवीउल्लह रोड, रिवर बैंक कालोनी, लखनऊ।	30.06.2016
5	सहर हॉस्पिटल, 6, नवीउल्लाह रोड सिटी रेलवे स्टेशन, लखनऊ।	30.06.2016
6	लखनऊ आई हॉस्पिटल, 82/40-का, गुरु गोविन्द सिंह मार्ग, लाल कुआ, लखनऊ। (एकल विशिष्टता)	30.06.2016
7	डा० ओ०पी० चौधरी हॉस्पिटल एण्ड रिसर्च सेन्टर, चौधरी विहार, रायबरेली रोड, लखनऊ।	30.06.2016
8	आई०क्यू० विजन प्राइवेट लिमिटेड, एन०एच०-2, विपुल खण्ड-4, गोमतीनगर, लखनऊ एवं इसकी इकाई (बी-60, सेक्टर-बी, अलीगंज, लखनऊ), (39, विजयनगर, कृष्णनगर, लखनऊ) एवं ई-2025, सेक्टर-ई, राजाजीपुरम, लखनऊ (एकल विशिष्टता)	30.06.2016
9	सिटी हास्पिटल एण्ड ट्रामा सेन्टर, आलमबाग, कानपुर रोड, लखनऊ।	30.06.2016
10	सिप्स (सुश्रुत इन्स्टीट्यूट ऑफ प्लास्टिक सर्जरी), 29-शाहमीना रोड, लखनऊ। (प्लास्टिक सर्जरी अनुमन्य नहीं होगी)	30.06.2016
कानपुर 11	भार्गव हॉस्पिटल, 15/263, सिविल लाइन्स, कानपुर।	30.06.2016
12	डा० जवाहर लाल रोहतगी स्मारक नेत्र एवं एसोसिएटेड रोहतगी हास्पिटल जी०टी० रोड, सर्वोदय नगर, कानपुर।	30.06.2016
13	सुलक्ष्मी हास्पिटल, 2-ए/228, आजाद नगर, कानपुर।	30.06.2016
14	कुलवन्ती हॉस्पिटल एण्ड रिसर्च सेन्टर, 117/ए/08, काकादेव, कानपुर।	30.06.2016
15	एक्सेल हॉस्पिटल, 14/138, चुन्नीगंज, कानपुर।	30.06.2016
मेरठ 16	प्रकाश आँखों का अस्पताल एवं लेजर सेन्टर, होटल हारमोनी इन के सामने, गार्डन हाउस कॉलोनी, मेरठ।	30.06.2016
इलाहाबाद 17	शकुन्तला हॉस्पिटल, 3-बी, ताशकन्द मार्ग, इलाहाबाद।	30.06.2016

MEDICAL/2015

Not Matter SPO
14-1-15

18	सृजन वात्सल्य अस्पताल प्रा0लि0, 8/1/6, एलिन रोड, सिविल लाइन्स, इलाहाबाद।	30.06.2016
19	ज्योती इन्स्टीट्यूट आफ मेडिकल एण्ड रिहैबिलिशन साइन्सेज (जीमार्स), भारद्वाज आश्रम, जवाहरलाल नेहरू रोड, इलाहाबाद।	30.06.2016
आजमगढ़ 20	वेदान्ता हॉस्पिटल, बिलरियागंज मार्ग, लक्षिरामपुर, आजमगढ़।	30.06.2016

1. उक्त सूची के समस्त चिकित्सालयों/चिकित्सा संस्थानों को जिलों के मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा निर्गत वैध पंजीयन प्रमाण पत्र यदि उनको प्रदान की गई मान्यता अवधि से पूर्व समाप्त हो जाता है या समाप्त कर दिया जाता है तो उस चिकित्सालय की मान्यता समाप्त हो जायेगी।
2. कारपोरेशन के प्रबन्धन को यह अधिकार होगा कि मान्यता अवधि से पूर्व कभी भी सूची के समस्त अथवा किसी भी चिकित्सालय की मान्यता बिना कोई पूर्व सूचना व कारण बताए समाप्त की जा सकती है।
3. सूचीबद्ध किसी भी चिकित्सालय के प्रबन्धन द्वारा विभागीय नियमों, प्रतिबन्धों / शर्तों का उल्लंघन करने, विभाग द्वारा निर्धारित चिकित्सा दरों से विचलित होने अथवा विभाग द्वारा निर्धारित मानकों/मापदण्डों से अनावरित पाये जाने की दशा में उस सम्बन्धित चिकित्सालय की मान्यता बिना किसी पूर्व सूचना अथवा कारण बताये, तत्काल समाप्त कर दी जाएगी।

निदेशक (कार्मिक प्रबन्धन एवम् प्रशासन)

संख्या:-161-(1) औस/2015-तददिनांक :-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवम् आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- अध्यक्ष एवम् प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लिमिटेड, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
- 2- निदेशक (कार्मिक प्रबन्धन एवम् प्रशासन)/(वितरण)/(वित्त)/(वाणिज्य)/(कारपोरेट प्लानिंग) उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लिमिटेड, शक्ति भवन, लखनऊ।
- 3- प्रबन्ध निदेशक, विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, मध्यांचल, लखनऊ/पूर्वांचल, वाराणसी/पश्चिमांचल, मेरठ/दक्षिणांचल, आगरा एवम् केस्को, कानपुर।
- 4- निदेशक (आपरेशन)/(प्रोजेक्ट)/(कार्मिक प्रबन्ध), उ0प्र0 पावर ट्रांसमिशन कारपो0 लि0, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
- 5- अध्यक्ष, विद्युत सेवा आयोग/जॉच समिति-प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0।
- 6- मुख्य अभियन्ता (जल-विद्युत), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लिमिटेड, शक्ति भवन, लखनऊ।
- 7- समस्त मुख्य अभियन्ता (वितरण/पारेषण), को इस अभ्युक्ति के साथ प्रेषित कि वे अपने स्तर से उक्त आदेश की प्रति अपने अधीनस्थ सभी सम्बन्धित अधीक्षण अभियन्ता/अधिशासी अभियन्ता को उपलब्ध करायें।
- 8- समस्त उप महाप्रबन्धक (औ0सं0)/वरिष्ठ कार्मिक अधिकारी/उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लिमिटेड।
- 9- समस्त अपर सचिव/महाप्रबन्धक (औ0सं0)/संयुक्त सचिव/मुख्य महाप्रबन्धक/महाप्रबन्धक/उप महाप्रबन्धक (लेखा/वित्त), उप मुख्य एवम् वरिष्ठ लेखाधिकारी/लेखाधिकारी(वेतन एवम् लेखा), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लिमिटेड।
- 10- समस्त अनुभाग अधिकारी/ निजी सचिव, प्रशासनिक एवम् लेखा स्कन्ध, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लिमिटेड।
- ✓ 11- अधिशासी अभियन्ता (वेब), कक्ष सं0-407, शक्ति भवन को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि वे कृपया संलग्न चिकित्सालयों की सूची को कारपोरेशन की वेबसाइट www.uppcl.org पर अपलोड करने हेतु।
- 12- प्रबन्धकगण -सूचीबद्ध समस्त चिकित्सालय।
- 13- सचिव, विद्युत पेंशनर्स परिषद (उ0प्र0), 103 कीर्ति अपार्टमेण्ट स्टेशन रोड, लखनऊ।
- 14- कट फाइल।

NCA Mathur
(नवनीत माथुर) 14.1.15
वरिष्ठ कार्मिक अधिकारी